

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)गावि/नरेगा/मा.द./57526/2015

जयपुर, दिनांक :

12 JUN 2017

जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आवास योजना में स्वीकृत आवास हेतु मस्टररोल जारी किये जाने बाबत।

संदर्भ:- अनुभाग-5 द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.05.2017  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 4(1) के प्रावधानानुसार केन्द्र/राज्य सरकार की स्कीम के तहत स्वीकृत आवास निर्माण में योजनान्तर्गत 90 दिवस का अकुशल मजदूरी देय है।

राज्य में "मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना", "इन्दिरा आवास योजना" एवं "प्रधानमंत्री आवास योजना" के तहत आवास स्वीकृत किये गये हैं। संदर्भित पत्र द्वारा आवासों को पूर्ण करने के लक्ष्य भी आपको अवगत कराए जा चुके हैं। आवास निर्माण कार्य शीघ्र एवं नियत अवधि में पूर्ण कराए जाने के संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. "मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना", "इन्दिरा आवास योजना" एवं "प्रधानमंत्री आवास योजना" के तहत स्वीकृत आवास की महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वीकृतियां यदि जारी नहीं की गयी हैं तो तुरन्त जारी की जावे।
2. जिन लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं उनका नियोजन योजनान्तर्गत सामुदायिक कार्य पर नहीं किया जावे एवं इनके लिए केवल आवास योजना के निर्माण हेतु मस्टररोल प्राथमिकता से जारी किये जावे।
3. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा बिन्दु संख्या 2 की पालना सुनिश्चित की जावे। पालना नहीं किये जाने पर इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(सुदर्शन सेठी) 7.6.2017  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग (अनुभाग-5)।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
5. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस